



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र 1942 (श0)

(सं0 पटना 553) पटना, शुक्रवार, 11 सितम्बर 2020

सं० 08/आरोप-01-47/2016-7543/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

1 सितम्बर 2020

श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-522/2011, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बेतिया के विरुद्ध बिहार स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लि०, पटना द्वारा Cr. Miss-37194/2016 (अजय प्रसाद उर्फ अजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं करने तथा बिना उच्चाधिकारी के आदेश के जिला मुख्यालय से बाहर रहने संबंधी आरोपों के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4334 दिनांक 12.09.2019 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय स्तर पर पुर्नगठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-17430 दिनांक 23.12.2019 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 07.02.2020 को विभाग में समर्पित किया गया।

विभागीय पत्रांक 3620 दिनांक 09.03.2020 द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2419 दिनांक 14.06.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार को निगम मुख्यालय के पत्रांक 10539 दिनांक 23.08.2016 द्वारा निगम अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया, परन्तु उनके द्वारा शपथ पत्र दायर नहीं किया गया, जिसके कारण प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति देनी पड़ी, जो उनके कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को घोटक है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री संतोष कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-522/2011, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बेतिया को कर्तव्यों के निर्वहन में बरती गयी लापरवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के संगत प्रावधानों के तहत नियम-14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:-

1. निन्दन (वर्ष-2016-17) तथा
2. असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 553-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>